

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4301/2026**

सूरज सिंह आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक श्रीवास्तव को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 7/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 333, 105, 191(2), 191(3), 190 भारतीय न्याय संहिता, थाना रानीपुर जिला बहराइच, मे आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपरोक्त वाद 11.01.2026 को सूरज सिंह (आवेदक), शुभम सिंह, चंदन सिंह और शिवनारायण सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब शिकायतकर्ता 11.01.2026 को रात लगभग 10:15 बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी, तो आरोपियों ने उसके पिता को पीटना शुरू कर दिया और उनके सिर पर चोटें पहुंचाईं। उन्होंने शिकायतकर्ता के परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा। शिकायतकर्ता के पिता को इलाज के लिए बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

4. अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए मुखबिर के बयान में उसने बताया कि प्राथमिकी में उसके द्वारा नामित चार व्यक्तियों के अलावा, उनके कुछ रिश्तेदार भी इस घटना में शामिल थे, लेकिन वह उनके नाम नहीं जानती थी। घटना में उसके पिता को सिर में चोट लगने के कारण वे बेहोश हो गए थे। उसके पिता को बहराइच के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पूरी घटना नहीं बता सकती और अगर उसे बाद में कुछ याद आया तो वह बता देगी। उसने बताया कि जब वह और उसके परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद कमरे में बैठे थे, तभी आरोपी घर में घुस आए और उन्हें पीटने लगे। अन्वेषण अधिकारी ने शिकायतकर्ता से पूछा कि लिखित शिकायत में उसने उल्लेख किया है कि वह और उसके परिवार के सदस्य घर के बाहर बैठे थे, जबकि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बयान में उसने कहा है कि वे सभी घर के अंदर बैठे थे। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने गलती से कहा था कि वे घर के बाहर बैठे थे, जबकि सच्चाई यह है कि वे घर के अंदर बरामदे में बैठे थे।

5. शिकायतकर्ता के पिता त्रिलोकी की चोट आख्या में सिर के सामने के हिस्से में एक घाव, सिर के दाहिनी ओर के सामने के हिस्से में एक घाव और सिर के पीछे के हिस्से में एक घाव का उल्लेख है और उनकी स्थिति बहुत खराब थी।

6. शिकायतकर्ता के पिता की चोटों के कारण मृत्यु हो गई और उनके शव विच्छेदन आख्या में सिर के दाहिनी ओर एक सिला हुआ घाव, सिर के ऊपरी हिस्से में एक सिला हुआ घाव, सिर के दाहिनी ओर एक सिला हुआ घाव, सिर के बाईं ओर एक सिला हुआ घाव, सिर के बाईं ओर बाएं कान के ठीक ऊपर एक चोट और पेट के दाहिनी ओर एक सिला हुआ घाव पाया गया। बाईं कनपटी और पार्श्विका हड्डियां टूटी हुई थीं और पूरे मस्तिष्क में खून का थक्का मौजूद था। मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा बताया गया है।

7. इसके बाद मृतक के भाई चेताराम ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि धर्म प्रताप सिंह के पुत्र रवि सिंह उर्फ आशीष सिंह ने अपने साथियों चंदन सिंह पुत्र वीरेंद्र विक्रम सिंह, सूरज सिंह पुत्र वीरेंद्र विक्रम सिंह, शिवंश सिंह पुत्र जयंकर सिंह, शुभम सिंह पुत्र दलजीत सिंह, गोपाल सिंह पुत्र जय नारायण सिंह, अक्षय प्रताप सिंह पुत्र वीरेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रताप सिंह और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला किया और इस घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण 13.01.2025 की रात को उसके भाई की मृत्यु हो गई। शिकायत में यह भी लिखा था कि थाना अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति से शिकायत लिखवाई थी और उस पर उसके नाबालिग भतीजी के हस्ताक्षर करवा लिए थे।

8. अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए चेताराम के बयान में उसने बताया कि जसवंत सिंह का पुत्र रवि सिंह और उसका चचेरा भाई आशीष सिंह पुत्र धर्म प्रताप सिंह इस घटना में शामिल थे और उसने गलती से अपनी शिकायत में रवि सिंह उर्फ आशीष सिंह को धर्म प्रताप सिंह का पुत्र बता दिया था।

9. मृतक के पुत्र सुधीर कुमार यादव ने बताया कि वीरेंद्र विक्रम सिंह के पुत्र सूरज सिंह, वीरेंद्र विक्रम सिंह के पुत्र चंदन सिंह, जयंकर सिंह के पुत्र शिवंश सिंह, दलजीत सिंह के पुत्र शुभम सिंह, धर्म प्रताप सिंह के पुत्र आशीष सिंह, जय नारायण सिंह के पुत्र गोपाल सिंह और जसवंत सिंह के पुत्र रवि सिंह इस घटना में शामिल थे। जब उन्होंने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा। उन्होंने आगे बताया कि वे अपनी बहन प्रीतम के साथ थाना गए थे। उनकी बहन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

10. जांच के बाद, 10.04.2026 को सात व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और अक्षय प्रताप सिंह की संलिप्तता जांच के दौरान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साबित नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। विचारणीय न्यायालय ने 15.04.2026 को अपराध का संज्ञान लिया।

11. जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

12. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना की प्राथमिकी संख्या 6/2026 आवेदक की ओर से भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें चार व्यक्तियों द्वारा धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि जब शिकायतकर्ता चंदन सिंह अपने छोटे भाई के साथ घर जा रहा था, तो आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और जब उसने विरोध किया, तो चारों आरोपियों ने उन्हें गाली दी, धमकाया और उन पर हमला किया।

13. आवेदक और उसके पक्ष के चार अन्य व्यक्तियों को इस घटना में चोटें आई हैं और उनकी चोटों की आख्या की प्रतियां जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं। शिकायतकर्ता चंदन सिंह के दाहिने घुटने पर खरोंच और बाएं हाथ पर चोट के कारण सूजन आई थी, साथ ही उसे सीने के दाहिनी ओर दर्द की शिकायत भी थी। आवेदक सूरज सिंह को सिर के पिछले हिस्से में घाव के साथ-साथ दर्द की शिकायत भी हुई है। अन्य तीन व्यक्तियों को भी सिर पर चोटें आई हैं, हालांकि चोटें मामूली प्रकृति की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं। सह-आरोपी आदर्श कुमार सिंह और गोपाल सिंह को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4240/2026 और 4367/2026 में पारित आदेश दिनांकित 17.06.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

14. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं और इसलिए उनके विरुद्ध दिनांक 10.04.2026 को आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

15. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 15.01.2026 से जेल में बंद है, दो सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, और मामले की गुण-दोष को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि उपरोक्त तथ्य उपरोक्त अपराध में आवेदकों को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हैं।

16. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

17. आवेदक-सूरज सिंह को उपरोक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक को विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि विचारणीय न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

18 जून, 2026

राम।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।